गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) (क) तथ (ख) : उन मीसा बंदियों को, जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु तब हो गई थी जब वे आपात स्थिति के दौरान जेलों में बंद थे, मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किन्तु सरकार ने आंतरिक आपात स्थिति के दौरान मीसा के अधीन पकड़े गये उन बंदियों के आश्रितों को, जो हिरासत में अथवा हिरासत से छोड़े जाने के तीन महीने के अ दर मर गये थे, पात्र मामलों में, मासिक पेंशन देने की एक योजना को अंतिम रूप दिया है :

भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र

384. डा० रामजी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के बाद जिन केन्द्रों को स्थापित किया गया है उनका अधिक विकास किया गया है लेकिन भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र का विकास रुका हुआ है ;

(ख) भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र को एक स्वतन्त्र केन्द्र के रूप में कब तक परिवर्तित किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र के मंत्रणा बोर्ड के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त बोर्ड का पुनर्गठन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) : आकाशवाणी का भागलपुर केन्द्र पटना केन्द्र का सहायक केन्द्र है। भागलपुर केन्द्र के चालू होने के बाद स्थापित किसी भी सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसको पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन नहीं बनाया गया है।

(ख) : इसके लिये पांचवीं योजना में कोई प्रावधान नहीं है। भावी योजनाओं में इसका समावेश संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(ग) : जी, नहीं। भागलपुर केन्द्र के लिये कोई मंत्रणा बोर्ड नहीं है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में छुरेबाजी की घटनायें

385. श्री कल्याण जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में पुरानी दिल्ली में हुई छुरेबाजी की घटनाओं का ब्यौरा क्या है।

(ख) राजधानी के इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अराजकता और उपद्रव पैदा करने वाले तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार संबधित अवधि के दौरान पुरानी दिल्ली में छुरा मारने के 10 मामले हुए। इन मामलों के बारे में सक्षिप्त तथ्यों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था में सुधार करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ शहर में पुलिस गश्त तेज करना, महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस टुकडियां तैनात करना, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरोधक कार्रवाई करना, सादे कपड़ों में पुलिस तैनात करना और जनता का सहयोग प्राप्त करना शामिल हैं। शहर में गश्त लगाने में पुलिस की सहायता के लिये होम गार्डों को भी तैनात किया जा रहा है।

विवरण

1. एफ० आई० आर० संख्या 268 दिनांक 1 मई, 1977, पुलिस थाना हौज काजी, दिल्ली भा० द० सं० की धारा 307/34 के अधीन मामला ।

श्री फिरोज खां जब अपने भाई अब्दुल रहीम के साथ रिक्शा में बैठकर सदर बाजार जा रहा था तो आरोप है कि राजवान ने दो अन्य की सहायता से उसे छुरा मारा । अभियुक्त अब्दुल हमीद उर्फ गामा और राजवान को गिरफ्तार किया गया है ।

2. एफ० आई० आर० सं० 265 दिनांक 2 मई, 1977 पुलिस थाना लाहौरी गेट, दिल्ली, धारा 307 37 के अधीन मामला ।

नई सड़क, कूचा खान चन्द के पास दिनांक 2 मई, 1977 को दो व्यक्ति श्री बरकत राम तथा श्री परमानन्द को तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बताया जाता है छुरा मारा गया है । मामले की जांच की जा रही है ।

3. एफ० आई० आर० संख्या 265 दिनांक 3 मई, 1977, पुलिस थाना सदर बाजार दिल्ली भा० द० की धारा 324 के अधीन मामला ।

इस मामले में जैसी कि रिपोर्ट दी गई है श्री अरुण कुमार को बस में 3 मई 1977 को छुरा मारा गया क्योंकि उसने एक बदमाश को एक यात्री की जेब काटने से रोका था । जब आजाद मार्केट, दिल्ली में दुकान नं० 122 के आगे बस रुकी तो अपराधी भाग गया । मामले की जांच की जा रही है ।

4. एफ० आई० आर० संख्या 273 दिनांक 4 मई, 1977 थाना लाहौरी गेट, दिल्ली में भा० द० सं० की धारा 307 324 /34 के अधीन मामला ।

यह आरोप है कि 4 मई, 1977 को दिन के 3-30 बजे नया बाजार में एक व्यक्ति ओम प्रकाश उसके साथी ने श्री सुरेश चन्द को छुरा मारा । लोगों ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया ।

5. एफ० आई० आर० संख्या 274 दिनांक 4 मई, 1977 थाना सब्जी मण्डी, दिल्ली भा० द० सं० की धारा 324/34 के अधीन मामला ।

सब्जी मण्डी पुलिस थाना क्षेत्र में दिनांक 4 मई, 1977 को धन संबंधी झगड़े को लेकर श्री प्रेम जीत सिंह को श्री गुरुचरण सिंह तथा श्री सतपाल द्वारा छुरा मारने का आरोप है । अपराधी गुरुचरण सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथी को गिरफ्तार करने के प्रयत्न जारी हैं ।

6 एफ० आई० आर० संख्या 269 दिनांक 5 मई, 1977 पुलिस थाना सदर बाजार, दिल्ली भा० द० सं० की धारा 324/34 के अधीन मामला ।

बाड़ा हिन्दू राव में दिनांक 4 मई, 1977 को रात्रि के लगभग 10-15 बजे श्री अब्दुल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी 8949 नया मोहल्ला सदर बाजार, दिल्ली को अशोक कुमार नामक एक व्यक्ति ने धन संबंधी झगड़े में छुरा मारा । मामले की जांच की जा रही है ।

7 एफ० आई० आर० संख्या 405 दिनांक 5 मई, 1977 पुलिस थाना पहाड़गंज, दिल्ली भा० दं० सं० की धारा 324 34 के अधीन मामला ।

इस मामले में 5 मई, 1977 को श्री तिलक राज को पप्पू नामक एक व्यक्ति तथा उसके दोस्त जगदीश द्वारा छुरा मारने का आरोप है । सूचना मिली है कि कथित अभियुक्तों ने पहले दिन एक लडकी के साथ छेड़छाड़ की और तिलकराज ने इस पर आपत्ति की । दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार

कर लिया है और मामले की जांच हो रही है।

8. एफ० आई० आर० संख्या 217 दिनांक 6 मई, 1977 पुलिस थाना जामा मस्जिद, दिल्ली भा० दं० सं० की धारा 307/342 के अधीन मामला।

दिनांक 6 मई, 1977 को एक श्रमिक शारदा सिंह को फरीदउद्दीन पुत्र हमीद उद्दीन, निवासी 2811, पहाड़ी धोजला, जामा मस्जिद, दिल्ली में छुरा मारने का आरोप है। रिपोर्ट दी गई है कि पहले की देय राशि के भुगतान तथा पुन : नौकरी पर रखने के बारे में झगड़ा होने का आरोप है। अभियुक्त फरीदउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। आगे जांच हो रही है।

9. एफ० आई० आर० संख्या 247 दिनांक 7 मई, 1977 पुलिस थाना ओरिजिनल रोड, दिल्ली, भा० दं० सं० की धारा 324 के अधीन मामला।

त्रिलोक पुरी दिल्ली की श्रीमती काली ने रिपोर्ट की है कि दिनांक 7 मई 1977 को फिल्मीस्तान सिनेमा के पास घरेलू झगड़े के कारण पति कन्हैया लाल ने उसको छुरा मार कर घायल कर दिया। अभियुक्त कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच हो रही है।

10 एफ० आई० आर० संख्या 455 दिनांक 7 मई, 1977, पुलिस थाना किंग्सवे कैम्प, दिल्ली भा० दं० सं० की धारा 302/-324 506 के अधीन मामला।

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उमराव सिंह निवासी मकान नं० 360 गांव आजादपुर को पुलिस थाना रोशन क्षेत्र के बदमाश राजेन्दर प्रसाद उर्फ राजू द्वारा छुरा मारने का आरोप है, झगड़ा रुपयों के भुगतान और घड़ी लौटाने के कारण हुआ। कहा जाता है कि अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी माता तथा भाई को भी घायल किया है। श्री अशोक कुमार उसी दिन हिन्दु राव अस्पताल में घावों के कारण मर गया था। अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद फरार है। उसको गिरफ्तार करने के लिये कारगर उपाय किये जा रहे हैं।

Pension Scheme for Employees of Cantonment Boards

386. SHRI DAJIBA DESAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether pension scheme has been approved by the Government of India for employees of Cantonment Boards;

(b) if so, from which date;

(c) whether retired employees of Cantonment Boards have represented to the Defence Ministry to apply the scheme to all retired employees; and

(d) if so, the decision thereon?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). A pension cum Gratuity scheme has been introduced for employees of Cantonment Boards with effect from 1st May 1976 in lieu of Provident Fund and Bonus. This scheme applies to all employees recruited from 1st May 1976. Employees in service on 1st May 1976 have the option either to opt for the scheme or remain under the Provident Fund and Bonus scheme.

(c) and (d). Certain ex-employees of the Cantonment Boards had represented that the benefits of the scheme should be extended to those employees also who retired prior to 1st May 1976. It has not been found feasible to accept this.